58

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक,
जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं सामुहिक चिकित्सालय संघ,
अजमेर।

क्रमांक : एमसीए/शैक्षणिक-II/2021/136 दिनांक: 22/1/21

सूचना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के नये दिशा निर्देशो के अनुसार शिक्षण संस्थानों यथा मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की कुप्रवर्ति को पूर्णतः नियंत्रित करना एवं उन्मूलन करना संस्थान के समस्त चिकित्सक शिक्षकों, चिकित्सा अधिकारियों, रेजीडेन्ट, समस्त सवंर्ग, लेखा अधिकारियों, कर्मचारियों, नर्सिंग कॉलेज एवं स्कूल के अधिकारियों, नर्सिंग ट्यूटर्स, समस्त नर्सिंग सवंर्ग, अधीनस्थ सेवा, मंत्रालियक सेवा, वर्कशॉप कर्मचारी, सहायक कर्मचारियों एवं संविदा /. अस्थाई सेवा के समस्त कर्मचारियों (तकनिशियन/सफाई कर्मचारी/वार्ड बॉय/चपरासी/वाहन चालक) की व्यक्तिगत एवं सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि यह पाया जाता है कि (जिसमें आधुनिक संसाधनों से प्राप्त सूचना व प्रमाण भी सम्मिलित) रैगिंग के समय उपरोक्त वर्णित सदस्य घटना स्थल पर उपस्थित थे तथा निष्क्रिय या कर्त्तव्य विहीन रहे, तब वे भी नियमानुसार दण्डनीय हैं।

ज्ञात रहे कि रैगिंग की पूर्व परिभाषा परिवर्तित हो चुकी है जो कि निम्नानुसार है...

> ***"Ragging is a congnizable offence under the law at par with rape and other atrociteis against women and ill-treatment of persions belongining to the SC/ ST and prohibiting ragging in all its forms in all Institution".***

अतः उपरोक्त सभी का ध्यान पुनः आकर्षित कर लेख है कि रैगिंग सम्बन्धित घटना को घटित ना होने दें एवं यदि घटित हो रही हैं, तो तत्काल रोकें।

प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक

क्रमांक/ 4329-84 /शैक्षणिक-II/एमसीए/2021 दिनांक: 22/1/21

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय राजस्थान जयपुर।
2. सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन, पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारिका प्रेस-1 नई दिल्ली-110077.
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. सभी प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, गर्वमेन्ट मेडिकल कॉलेज जयपुर/कोटा/ उदयपुर/बीकानेर/ जोधपुर/ झालावाड़
5. अतिरिक्त प्रधानाचार्य प्रथम, द्वितीय एवं अतिरिक्त प्रधानाचार्य शैक्षणिक शाखा इस महाविद्यालय को।
6. अधीक्षक जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय/राजकीय महिला चिकित्सालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया आपके अधीन कार्यरत समस्त चिकित्सा अधिकारी/नर्सिंग अधिकरी एवं कर्मचारियों, तकनिशियनों एवं सभी संवर्ग के कर्मचारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करावें एवं उनके हस्ताक्षरयुक्त एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें।
7. समस्त प्रभारी अधिकारी इस महाविद्यालय एवं चिकित्सालय को भेजकर लेख है कि अपने अधीन समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करावें एवं उनके हस्ताक्षरयुक्त एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें।/ प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर शाखा इस महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना को कॉलेज वेबसाइट पर अपलोड करायें।
8. समस्त विभागाध्यक्ष इस महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत समस्त यू.जी एम.बी.बी.एस. विद्यार्थियों को उक्त सूचना से अवगत कराना सुनिश्चित करावें एवं एन्टी रैगिंग शपथ पत्र ऑनलाईन भरकर हार्डकॉपी में जमा करने हेतु विद्यार्थियों को सूचित करायें।
9. समस्त वार्डन पी.जी./यू.जी.(गर्ल्स एवं बॉयज) छात्रावास को भेजकर लेख है कि कृपया समस्त विद्यार्थियों को अवगत करावे एवं उनके हस्ताक्षर प्राप्त कर एक प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
10. समस्त नोटिस वोर्ड इस महाविद्यालय को।
11. निजी सहायक, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक इस महाविद्यालय को।

प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक